(16)

संख्याः 736/VII-1/57-ख/2013

प्रेषकः

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 3 अप्रैल, 2013

विषयः निजी नाप भूमि में स्वीकृत होने वाले उपखनिज के खनन पट्टों में आशय पत्र जारी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरणों पर शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी नाप भूमि पर उपखनिजों के खनन पट्टों के आशय पत्र निर्गत किये जाने का प्राधिकार संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को प्रदान किया जाता है।

2. आशय पत्र निर्गत करने के उपरान्त संबंधित पक्ष द्वारा पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर, पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति संबंधित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा तत्संबंधी उपखनिज का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव, स्पष्ट संस्तुति के साथ निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, भोपालपानी, देहरादून को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, भोपालपानी, देहरादून द्वारा जिलाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ सुविचारित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. समस्त जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक आशय पत्र जारी किये जाने की सूचना तथा सम्बंधित संयुक्त निरीक्षण आख्या (निर्धारित प्रारूप पर) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई/शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप ।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव।

736
संख्याः (1) VII-1/57-ख/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, भोपालपानी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप :-
(उपखनिज क्षेत्रों हेतु)

1. खनन क्षेत्र का स्थान– ग्राम.....तहसील.....जनपद.....

2. क्षेत्रफल एवं खसरा विवरण.....

3. भूमि का प्रकार– नाप भूमि.....राजस्व भूमि.....वन भूमि.....

4. उपखनिज का नाम.....

5. प्रस्तावित भूमि यदि नाप भूमि है तो–
   (क)आवेदक भूस्वामी है या भूस्वामी द्वारा सहमति प्राप्त है.....
   (ख) यदि आवेदक भूस्वामी नहीं है तो क्या उसे आवेदित क्षेत्रान्तर्गत आने वाले भूमिधरों की सहमति प्राप्त है.....यदि हां तो क्या आवेदक के पक्ष में भूमिधरों द्वारा नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र दिया गया है.....क्या आवेदक द्वारा उसकी मूल प्रति संलग्न की गयी है.....

6. आवेदक यदि फर्म या कम्पनी है तो क्या वह सोसाइटीज एक्ट अथवा कम्पनीज एक्ट अथवा पार्टनरशिप एक्ट एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत है.....

7. प्रस्तावित भूमि एक संहत खण्ड में है अथवा नहीं.....

8. प्रस्तावित भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होता है या नहीं.....

9. प्रस्तावित खनन क्षेत्र नदी तल है या नदी तल के बाहर.....

10. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज स्वस्थित चट्टानों के रूप में है या आर0बी0एम0 (बालू, बजरी, बोल्डर) के रूप में .....

11. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की निम्न स्थलों से दूरी.....
    (क) वन क्षेत्र से दूरी.....
    (ख) नदी पुल.....बांध/नहर से दूरी.....

(ग) सार्वजनिक स्थल यथा सड़क, मंदिर, शमशान आदि की दूरी.....
(घ) नेशनल पार्क/सेंचुरी से दूरी.....

12. खनन क्षेत्र से उपखनिज के परिवहन हेतु वाहंन पहुंच मार्ग उपलब्ध है या नहीं.....
.....

13. प्रस्तावित स्थल के समीप कोई खनन पट्टा पूर्व से स्वीकृत है एवं कार्यरत है के सम्बन्ध में टिप्पणी.....

14. प्रस्तावित स्थल के समीप कोई धर्मकांटा पूर्व से स्थापित है या नहीं.....

15. उपलब्ध खनिज निर्माण कार्यों हेतु उपयुक्त है या नहीं.....

16. उपखनिज की उपलब्धता के सम्बन्ध में टिप्पणी :
(क)उपखनिज का नाम..... (ख) आंगणित मात्रा.....

17. आवेदक पर पूर्व को कोई खनन/आयकर बकाया तो नहीं है.....

18. आवेदक अपराधी प्रवृत्ति का न होने के सम्बन्ध में 06 माह पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र है अथवा नहीं.....

19. गठित समिति की संस्तुति में समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हैं अथवा नहीं.....
.....

सहायक अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
सदस्य।

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन विभाग,
सदस्य।

खान अधिकारी/खान निरीक्षक,
खनन विभाग–सदस्य सचिव।

उप जिलाधिकारी,
राजस्व विभाग,
अध्यक्ष।

(नोट–गठित समिति के सदस्यों के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मान्य नहीं होगे।)